www.rojgarsamachar.gov.in
www.employmentnews.gov.in

अंग्रेजी एवं उर्दू में भी प्रकाशित
वार्षिक शुल्क: ₹ 530

सत्यमेव जयते

रोज़गार समाचार

साप्ताहिक

खंड 44 अंक 43 पृष्ठ 56 | नई दिल्ली 25 - 31 जनवरी 2020 | ₹ 12.00

भारतीय संविधान का निर्माण

राघुल सुदीश

भारत 15 अगस्त 1947 को एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, लेकिन भारत के संविधान के लिये काम बहुत पहले शुरू हो गया था. 1946 के कैबिनेट मिशन, जिसमें तीन ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री-लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और श्री अलेग्जेंडर शामिल थे, ने एक नया संविधान बनाने के उद्देश्य से एक संविधान सभा की स्थापना की सिफारिश की. इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और जुलाई, 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए. मूल रूप में संविधान सभा में 389 सदस्य थे लेकिन बाद में इसे घटाकर 299 कर दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान के लिये एक अलग संविधान सभा का गठन किया गया था.

प्रारंभ में, जैसा कि संविधान सभा ब्रिटिश सरकार ने बनाई थी, जिसे एक संप्रभु निकाय नहीं कहा जा सकता था और इसकी शक्तियां सीमित थीं. लेकिन 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के पारित होने के साथ ही संविधान सभा एक संप्रभु निकाय बन गई और उसने एक संविधान की रूपरेखा तैयार की. 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने संविधान सभा को भारत के लिये कानून बनाने का अधिकार दिया, जब तक कि नया संविधान लागू नहीं हुआ. संविधान सभा ने 9 दिसंबर, 1946 को संविधान हाल में अपनी पहली बैठक की जो वर्तमान में संसद भवन का केंद्रीय कक्ष है. डॉ. राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया. 13 दिसंबर, 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने 'उद्देश्य संकल्प' पेश किया जो बाद में भारत के संविधान की 'उद्देशिका' बन गई.

संकल्प प्रस्तुत करते हुए नेहरू जी ने कहा

''मैं जो संकल्प आपके समक्ष रख रहा हूं वह प्रतिज्ञा की प्रकृति में है. इसका मसौदा परिपक्व विचारविमर्श के बाद तैयार किया गया है और विवाद से बचने की कोशिश की गई है. एक महान देश में विवादास्पद मुद्दे होना निश्चित है, लेकिन हमने यथासंभव विवाद से बचने की कोशिश की है. संकल्प आमतौर पर बुनियादी बातों से संबंधित होते हैं जो सामान्यतः लोगों द्वारा धारित और स्वीकार किये जाते हैं. मेरे विचार में इस संकल्प में ऐसा कुछ भी नहीं है जो ब्रिटिश कैबिनेट द्वारा निर्धारित सीमाओं से बाहर जाकर हो अथवा ऐसी कोई बात नहीं है जो किसी भारतीय को अस्वीकार्य हो, चाहे वह किसी भी पार्टी अथवा समूह से संबंधित है. दुर्भाग्य से, हमारा देश मतभेदों से परिपूर्ण है परंतु कोई भी, शायद कुछेक को छोड़कर, उन मूल सिद्धांतों को लेकर विवाद नहीं करेगा जिन्हें यह संकल्प पूरा करता है. प्रस्ताव में कहा गया है कि यह एक भारतीय गणतंत्र होने का हमारा दृढ़ संकल्प है. हमने, इस समय तक, गणराज्य शब्द का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन आप अच्छी तरह से समझेंगे कि एक स्वतंत्र भारत एक गणतंत्र के अलावा कुछ नहीं हो सकता है.''

उद्देश्य संकल्प इस प्रकार है

1. यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य के रूप में घोषित करने और अपने भविष्य के शासन के लिए संविधान बनाने के लिये दृढ़ता और सत्यनिष्ठा से घोषणा करती है; और
2. जिन क्षेत्रों में अब ब्रिटिश भारत शामिल है, वे क्षेत्र जो अब भारतीय राज्य हैं, और भारत के अन्य हिस्से जो कि ब्रिटिश भारत से बाहर के हैं और राज्य तथा अन्य प्रदेश जो कि स्वतंत्र भारत में संगठित होने के लिये तैयार हैं, इन सभी का एक संघ होगा; और
3. उक्त प्रदेशों में, चाहे उनकी वर्तमान सीमाएं हों या ऐसे अन्य क्षेत्र जो संविधान सभा द्वारा और इसके बाद संविधान के कानून के अनुसार निर्धारित किए गए हों, स्वायत्त इकाइयों का दर्जा प्राप्त करेंगे और बनाये रखेंगे, साथ में अवशेष शक्तियां होंगी और सरकार तथा प्रशासन की सभी शक्तियों और संकार्यों का प्रयोग करेंगे, ऐसी शक्तियों से संकार्यों की रक्षा होगी और इन्हें स्वीकार करेंगे जो कि संघ में निहित अथवा सौंपी गई हैं, अथवा और उसके बाद संविधान के कानून के अनुसार, अवस्थापित शक्तियों के साथ स्वायत्त इकाइयों की स्थिति को बनाए रखेंगे और सरकार तथा प्रशासन की सभी शक्तियों और संकार्यों का प्रयोग करेंगे, उन शक्तियों के अलावा जो कि संघ के पास निहित हैं अथवा उसे सौंपी गई हैं, अथवा संघ में अथवा इसके परिणामस्वरूप निहित हैं, और
4. जिसमें, संप्रभु स्वतंत्र भारत, इसके अभिन्न हिस्से और सरकार के अंगों की सभी शक्तियां और प्राधिकार लोगों से प्राप्त किए गए हैं, और
5. जिसमें, भारत के सभी लोगों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गारंटी और सुरक्षा, कानून और सार्वजनिक नैतिकता के विषयाधीन स्थिति, अवसर की समानता, और कानून के समक्ष, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, पूजा, वोकेशन, एसोसिएशन और कार्रवाई की स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी.
6. जिसमें अल्पसंख्यकों, पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों, और दबे कुचलों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी, और
7. जिसके तहत न्याय और सभ्य राष्ट्रों के कानून के अनुसार गणतंत्र और संप्रभु अधिकार क्षेत्र, समुद्र और वायु के क्षेत्र की अखंडता को बनाए रखा जाएगा, और
8. यह प्राचीन भूमि विश्व में अपना उचित और सम्मानित स्थान प्राप्त करती है और विश्व शांति तथा मानव जाति के कल्याण को बढ़ावा देने के लिये अपना पूर्ण और तत्पर योगदान करेगी.

संकल्प को संविधान सभा ने 22 जनवरी, 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया. 29 अगस्त, 1947 को संविधान सभा ने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिये डॉ. बी. आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में मसौदा समिति का गठन किया. समिति का गठन संवैधानिक सलाहकार द्वारा, सभा में पहले से लिये जा चुके निर्णयों को लागू करते हुए और ऐसे सभी मामलों सहित जो कि इससे संबद्ध हैं अथवा जिन्हें ऐसे संविधान में प्रावधान किया जाना है, तैयार भारत के संविधान के पाठ के मसौदे की जांच करने, और समिति द्वारा यथा संशोधित मसौदा संविधान के पाठ को विचार के लिये सभा को प्रस्तुत करने के लिये किया गया था. यह बी. एन राऊ थे जिन्होंने संवैधानिक सलाहकार के रूप में कार्य किया और मसौदा समिति के विचार के लिए संविधान का मोटे तौर पर एक मसौदा तैयार किया.

मसौदा संविधान जनवरी 1948 में प्रकाशित हुआ था और भारत के लोगों को मसौदे और प्रस्तावित संशोधनों पर चर्चा करने के लिए 8 माह का समय दिया गया था. मसौदा संविधान के विभिन्न प्रावधानों को संशोधित करने की मांग करने वाले सदस्यों द्वारा मूल रूप से 7,635 संशोधन प्रस्तुत किए गए थे. इनमें से 2473 संशोधन वास्तव में पेश किए गए, चर्चा की गई और निपटाए गए. यह अकेले भारत के संविधान को बनाने के पीछे चली लोकतांत्रिक कवायद की गवाही देता है.

संविधान सभा ने भारत के लिए एक संविधान बनाने के कार्य को पूरा करने में दो साल, ग्यारह महीने और सत्रह दिनों का समय लिया. इसने कुल 165 दिनों में कार्य करते हुए ग्यारह सत्र आयोजित किए. अकेले संविधान पर विचार के लिये 114 दिन व्यतीत किए गए. भारत के संविधान को संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपनाया था. भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और उस दिन संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया था, तब तक खुद को भारत की अस्थायी संसद में परिवर्तित कर दिया गया जब तक कि 1952 में एक नई संसद का गठन नहीं कर दिया गया.

भारत के संविधान को अंगीकृत किये जाने के तीस वर्षों के बाद, डॉ. एल. एम. सिंघवी के नेतृत्व में 1979 में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने हमारे संविधान के संस्थापकों के सम्मान के तौर पर 26 नवंबर को विधि दिवस मनाने का फैसला किया और उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, एम. एन. कृष्णामणि ने कहा, ''विधि दिवस मनाने का असली उद्देश्य अपने आपको निम्नलिखित आधारभूत सिद्धांतों के लिये फिर से तैयार करना है, जो एक मज़बूत आधार का निर्माण करते हैं जिस पर यह भव्य संवैधानिक संपादन खड़ा किया गया है: I. विधि का नियम. II. न्यायपालिका की स्वतंत्रता. III. कानूनी पेशे की स्वतंत्रता. ये तीनों सिद्धांत अंतर्मुखी हैं. एक स्वतंत्र न्यायपालिका और एक स्वतंत्र बार का मुख्य उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि कानून का एक नियम होता है.''

भारतीय न्यायपालिका भारत के संविधान की पहरेदार रही है और इन वर्षों में किसी भी प्रकार के हमलों से संविधान की रक्षा करती रही है. भारत का संविधान इस साल 70 वर्ष का हो रहा है और यह अब भी देश को एक साथ जोड़े हुए है. यह न केवल इन वर्षों में बचा रहा है बल्कि बदलते समय के साथ विकसित हुआ है. यह युवा, ऊर्जावान और जीवंत बना हुआ है.

लेखक केरल उच्च न्यायालय, एर्नाकुलम में कार्यरत अधिवक्ता हैं. उनसे raghulsudheesh@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है.

व्यक्त विचार व्यक्तिगत हैं.

(चित्र: गूगल के सौजन्य से)